



भारत सरकार, रक्षा मंत्रालय/  
GOVERNMENT OF INDIA  
MINISTRY OF DEFENCE  
रक्षा अनुसंधान तथा विकास संगठन  
DEFENCE R&D ORGANISATION

**सेना उड़नयोग्यता और प्रमाणीकरण केन्द्र**  
**CENTRE FOR MILITARY AIRWORTHINESS & CERTIFICATION**  
मारतहल्ली कालोनी पोस्ट आफिस, बंगलोर  
MARATHAHALLI COLONY P.O.  
BANGALORE - 560 037.

**वर्ग अनुमोदन सं. /Type Approval No.1161**  
**मद/FOR ITEM: फ्रन्ट एन्ड रिसेीवर असेम्ब्ली-ईगल/**  
**Front End Receiver Assembly -Eagle**

यह प्रमाणित किया जाता है कि मेसर्स डिफेन्स इलेक्ट्रॉनिक्स रिसर्च लेबोरेटरी, हैदराबाद द्वारा विकसित एवं मेसर्स भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, आई.ई. नाचाराम, हैदराबाद-500 076 द्वारा उत्पादित “फ्रन्ट एन्ड रिसेीवर असेम्ब्ली-ईगल”, पार्ट सं.1720 009 002 29 फ्रन्ट एण्ड रिसेीवर असेम्ब्ली ईगल 1720 009 002 29 के मास्टर ड्राइंग इंडेक्स इश्यू लेवल 04, फाइल:4706/06/21 दिनांक 14.10.2003 के अनुसार डॉर्नियर वायुयान की ईगल परियोजना के एयरबोर्न ई एस एम सिस्टम में काम आता है उत्पादन के लिए अनुमोदित किया जाता है। इसे आर.सी.एम.ए.(हैदराबाद) के समन्वय से दस्तावेज सं बीईएल:नेवी:टाट: 2002--001, इश्यू लेवल:01, दिनांक मार्च 2002 एवं संशोधन सूची सं.बीईएल:नेवी:टाट:2002-- 001, दिनांक अक्टूबर 2002 के अनुसार परीक्षित किया गया है। यह परिशिष्ट‘ए’ में संलग्न “वर्गरिकार्ड कम्प्लायंस स्टेटमेंट” में विवरित क्यूटीपी के आवश्यकताओं को पूर्ण कर चुका है।

*This is to certify that the “Front End Receiver Assembly -Eagle” bearing Part No. 1720 009 002 29 developed by M/s Defence Electronics Research Laboratory, Hyderabad, & manufactured by M/s. Bharath Electronics Ltd., I.E. Nacharam Hyderabad - 500 076, is hereby approved for production as per Master drawing Index Issue level 04, File:4706/06/21 Dated:14.10.2003 of Front End Receiver Assembly - Eagle-1720 009 002 29 for use an Airborne ESM system in project Eagle on Dornier Aircraft. It has been tested as per Doc No BEL: NAVY: TAT: 2002:001, Issue Level: 01, dated March 2002 and Amendment list No:BEL:NAVY:TAT:2002-001, Dated: October 2002, in co-ordination with RCMA (Hyderabad). It has met the requirements of the QTP as detailed in the type record compliance statement enclosed at Appendix ‘A’.*



2. इस वर्ग अनुमोदन को जारी करने के फलस्वरूप उत्पाद को प्रदत्त अनंतिम निकासी सुपरसीड होती है। ऊपरलिखित वर्ग अनुमोदन संख्या को सभी संगत आरेखन, संविदा तथा रिलीज़ नोट्स में प्रतिबिंबित किया जाना चाहिये।

*The Provisional Clearance accorded to the product is here by superseded consequent to the issuance of this Type Approval. The Type Approval number quoted above must be reflected in all relevant drawings, contracts & release notes.*

3. यह वर्ग अनुमोदन, थोक उत्पादन के लिए डी.जी.ए.क्यू.ए, रक्षा मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा गुणवत्ता नियंत्रण पक्ष की निकासी पर आधारित है।

*This approval is contingent upon the quality control aspects of bulk production being cleared by DGAQA, Ministry of Defence, Govt. of India.*

4. यह वर्ग अनुमोदन 31 दिसंबर 2010 तक वैध है और इसके बाद में इसका नवीकरण करवाना होगा। विक्रेता को इस वर्ग अनुमोदन की अवधि समाप्त होने के तीन महीने पहले ही अनुवर्ती नवीकरण के लिए आर.सी.एम.ए(हैदराबाद), हैदराबाद से अनुरोध करना होगा।

*This Type Approval is valid up to 31<sup>st</sup> Dec 2010 and will have to be renewed subsequently. The vendor shall request RCMA (Hyderabad), Hyderabad for subsequent renewal, three months before the expiry of Type Approval.*

5. अगर इस अनुमोदन को किसी अन्य अभिकरण में स्थानांतरण करना हो या संलग्न टाइप रेकार्ड कम्प्लायन्स स्टेटमेंट में कोई परिवर्तन करना हो तो सेना उड़नयोग्यता और प्रमाणीकरण केन्द्र (सेमिलाक), बेंगलोर की पूर्व सहमति लेनी होगी।

*Prior agreement of Centre for Military Airworthiness & Certification (CEMILAC), Bangalore, will have to be obtained if this approval is to be transferred to any other agency or if changes within the Type Record Compliance Statement enclosed are effected.*

संलग्न/Encl : परिशिष्ट 'ए' / Appendix 'A'

सं/No. : सेमिलाक/CEMILAC/5070/टी.ए/TA-1161

दिनांक/Date : 12<sup>th</sup> जनवरी 2005

फेक्स सं/Fax No: 080-5230856

जयंत कुमार शर्मा  
12/1/06

(जे.के.शर्मा/J.K.SHARMA)

मुख्य कार्यपालक(उड़नयोग्यता)/

Chief Executive (Airworthiness)